झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 08 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

संचिका संख्या
रा०खा०आ० (शि०) - 25/2021.

अपीलकर्त्ता श्री राम कृपाल सिंह, हटिया रेलवे मार्केट, वार्ड-53, राँची (नगर निगम), राँची।

बनाम

DISPOSED 17/02/2022

प्रतिवादी 1. DSO, राँची। 2. BSO, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
3/2/2022	शिकायतकर्त्ता श्री राम कृपाल सिंह, हटिया रेलवे मार्केट, वार्ड–53, राँची (नगर निगम), राँची का शिकायत आयोग को वाट्सएप पर प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा PDS वितरक श्री तुसार कान्ति घोष के विरूद्ध विगत दो माह से राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया। प्राप्त शिकायत–पत्र के आलोक में आयोग के पत्रांक–268 दिनांक–08.14.2021 द्वारा जाँचोपरान्त कार्रवाई हेतु इसे जिला आपूर्ति पदाकधिकारी, राँची को प्रेषित किया गया। पुनः आयोग के पत्रांक–459 दिनांक–04.08.2021 एवं पत्रांक–568 दिनांक–27.08.2021 द्वारा स्मारित भी किया गया। किन्तु लगभग 8 माह बीत जाने पर भी कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। यह मामला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के कियान्वयन के प्रति उदासीनता एवं धारा–25(1) तथा 26 का उल्लघन है। अतः मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा उक्त मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। सुनवाई की तिथि दिनांक–17.02.2022 निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को नोटिस भेजा जाय। सूचना शिकायतकर्त्ता को देते हुए नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र में ऑनलाईन सुनवाई में उपस्थित रहने का निदेश दिया जाय। 3-2-2022 सुनवाई WhatsApp Video call से	

D:\Premlata\Final Court Order.docx17

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	माध्यम से की जाए। शिकायतकर्ता को सूचित कर दिया जाए। (हस्ताक्षर) 14/4/22	
17.02.2022	प्रतिवादी की ओर से रवीन्द्र सिंह, ADSO (खाद्य) MO उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता की ओर से श्री रामकृपाल सिंह मोबाइल नं० 7367909015 के माध्यम से उपस्थित हुए। श्री रामकृपाल सिंह ने बयान दिया कि उनकी समस्या/शिकायत का निस्तारण हो गया है एवं उन्हें नियमित निर्धारित मात्रा में अनाज मिल रहा है। वार्ड नं० 50 की पार्षद श्रीमती पुष्पा तिवारी से मोबाइल नं० 7654974579 के द्वारा इसकी पुष्टि की गई। ADSO (खाद्य) MO द्वारा प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि श्री रामकृपाल सिंह एवं पुष्पा तिवारी, पार्षद से भी की गई। बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (हस्ताक्षर) 17/4/2022	